



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 22 मार्च, 2023

चैत्र 1, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 22/79-वि-1-2023-2-क-2-2023

लखनऊ, 22 मार्च, 2023

अधिसूचना
विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023) जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)
(संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन)
अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का संक्षिप्त नाम उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 35
सन् 1979 की
धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक “31 दिसम्बर, 2016” के स्थान पर शब्द और अंक “31 दिसम्बर, 2021” रख दये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 22(2)/LXXIX-V-1-2023-2-ka-2-2023

Dated Lucknow, March 22, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Apraadhon Ka Shaman Aur Vichaaranon Ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 2 of 2023) promulgated by the Governor. The Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND
ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2023
(U.P. ORDINANCE NO. 2 OF 2023)

[Promulgated by the Governor in the Seventy fourth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Ordinance, 2023.

Amendment of
section 9 of
U.P. Act no. 35
of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979, in sub-section (2), *for* the word and figures "December 31, 2016" the word and figures "December 31, 2021" shall be *substituted*.

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.